

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3713
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाना

3713. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाने में राज्यवार समग्र कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता से कुल 213.70 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।
- (ख) और (ग): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए सम्मेलनों, सेमिनारों, चिंतन शिविरों, समीक्षा बैठकें इत्यादि के माध्यम से अक्षय ऊर्जा (आरई) डेवलपर्स और हितधारकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर रहा है।
- (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न पहल और उपाय किए हैं, जिसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

‘गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाना’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3713 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1	आन्ध्र प्रदेश	11097.95
2	अरुणाचल प्रदेश	1270.33
3	असम	568.80
4	बिहार	477.92
5	छत्तीसगढ़	1741.52
6	गोवा	52.23
7	गुजरात	32342.83
8	हरियाणा	2322.47
9	हिमाचल प्रदेश	11431.82
10	जम्मू एवं कश्मीर	3624.08
11	झारखण्ड	420.24
12	कर्नाटक	23463.90
13	केरल	3560.33
14	लद्दाख	141.29
15	मध्य प्रदेश	10248.02
16	महाराष्ट्र	21395.26
17	मणिपुर	124.24
18	मेघालय	395.11
19	मिजोरम	135.82
20	नागालैंड	110.84
21	ओडिशा	2939.35
22	पंजाब	3226.70
23	राजस्थान	31713.42
24	सिक्किम	2344.67
25	तमिलनाडु	26531.00
26	तेलंगाना	7688.34
27	त्रिपुरा	37.05
28	उत्तर प्रदेश	6545.45
29	उत्तराखंड	5004.48
30	पश्चिम बंगाल	2098.53
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35.16
32	चण्डीगढ़	76.26
33	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	51.87
34	दिल्ली	376.38
35	लक्षद्वीप	4.97
36	पुडुचेरी	52.64
37	अन्य	49.31
	कुल (मेगावाट में)	213700.58

‘गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाना’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3713 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईए: सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराया जा सके।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनों बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- “पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023” जारी की गई है।
- “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति” जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रेजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रेजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)” अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष की क्षमता के लिए संविदाएं आवंटित की गई हैं/प्रक्रियाधीन हैं।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 4,12,000 टन प्रति वर्ष के लिए क्षमता आवंटित की गई है।
